न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–03, पीलीभीत।

पीठासीनः विजय कुमार हिमांशु , एच 0 जे0 एस 0

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1002/2026

छत्रपाल व एक अन्य **बनाम** राज्य।

मु०अ०सं०–142/2026

अंतर्गत धारा–191(2),191(3),109,352,351(3), 333 भा.न्या.सं. व 482 बी.एन.एस.एस.

थाना–माधौटांडा, जिला–पीलीभीत

19.06.2026

अग्रिम जमानत आदेश

1. **भूमिका–** यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र आवदेकगण/अभियुक्तगण छत्रपाल सिंह पुत्र शंकर सिंह व रमेश सिंह पुत्र शंकर सिंह के जानिब से उपरोक्त प्रकरण में अं.धा–191(2),191(3),109,352,351(3),333 भा.न्या.सं. व 482 बी.एन.एस.एस.उपस्थापित किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के जानिब से छत्रपाल सिंह व रमेश सिंह द्वारा स्वयं का इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अलावा अन्य कोई प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद या अन्य किसी न्यायालय में जेरे समात नहीं है।
2. **अभियोजन पक्षकथन**– अभियोजन पक्षकथन संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम रूद्रपुर थाना माधौटांडा जिला पीलीभीत का निवासी है। प्रार्थी के गांव के छत्रपाल सिंह ने प्रार्थी के घर के निकास की रास्ते में ईट, मिटटी भरे कटटे लगाकर तथा वाहन खड़े करके रास्ते को अवरूद्ध कर रखा था जिससे पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया। दिनांक 24.05.2026 को समय करीब 8 बजे शाम प्रार्थी के पिता द्वारिका सिंह ने छत्रपाल सिंह को रास्ते से ईट, कटटे हटाने को कहा इसी बात पर छत्रपाल सिंह पुत्र शंकर सिंह व विजेन्द्र सिंह पुत्र तिलक सिंह, सुरेश सिंह पुत्र शंकर सिंह, नेत्रपाल सिंह पुत्र शंकर सिंह, रमेश सिंह पुत्र शंकर सिंह, रोहन सिंह पुत्र शोभा सिंह, भूदर सिंह पुत्र रोहन सिंह, महेन्द्र सिंह पुत्र करन सिंह, मनोज सिंह पुत्र हुकुम सिंह, अखिलेश सिंह पुत्र हुकुम सिंह निवासीगण ग्राम रूद्रपुर थाना माधौटांडा जिला पीलीभीत एक राय होकर हाथों में धारदार हथियार कसी, बांका, लाठी डण्डा आदि लेकर गन्दी गन्दी गालियां देते हुए प्रार्थी के पिता को मारना पीटना शुरू कर दिया। वह अपनी जान बचाकर घर में भाग आये तो उक्त लोगों ने घर में घुसकर प्रार्थी के पिता को जान से मारने की नियत से उनके सिर पर धारदार कसी से प्रहार किया तथा लाठियों से मारा जिससे उनके सिर व शरीर में काफी चोटें आयीं, प्रार्थी के भाई अजय सिंह ने बचाने की कोशिश की तो उसको भी मारा पीटा, नाक के पास व शरीर में चोटें पहुंचायी। उक्त लोगों ने ऐलानिया धमकी दी अगर आज बच गया तो अगली बार जान से मार देगें। प्रार्थी व परिवार के लोग अपने घायल पिता को सरकारी अस्पताल पूरनपुर इलाज हेतु लेकर गये प्रार्थी के पिता की हालत गम्भीर होने पर उनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया किन्तु उनकी हालत अत्यधिक गम्भीर होने के कारण जिला अस्पाताल से उनको बरेली रेफर कर दिया। वर्तमान में प्रार्थी के पिता रूहेलखण्ड अस्पताल, बरेली में आईसीसीयू में भर्ती है। उनकी हालत गम्भीर बनी हुई है। घटना की वीडियो रिकार्डिंग भी उपलब्ध है।
3. आवेदकगण/अभियुक्तगण के अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर उनके फाजिल अधिवक्ता एवं राज्य के जानिब से फाजिल अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्क विस्तृत रूप से सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।
4. **आवदेकगण/अभियुक्तगण की ओर से अभिवाकः–**आवेदकगण/अभियुक्तगण के जानिब से फाजिल अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कहा गया है कि उसे इस अभियोग में झूठा फंसाया गया है। वादी द्वारा मुकदमे की घटना जहां की दर्शायी गयी है फिर भी घटना स्थल का कोई स्वतन्त्र साक्षी नही है जिसने घटना का समर्थन किया हो। दिनाक 24.05.2026 को प्रार्थीगण को वादी मुकदमा व उसके घरवाले प्रार्थीगण के घर में घुसकर जान से मारने कां लेकर मारपीट की तथा प्रार्थीगण को घायल कर दिया जिसका

Digitally signed by VIJAY KUMAR HIMANSHU
Date: 2026.06.19 19:54:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पुलिस द्वारा मेडिकल कराया गया और मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तथा प्रार्थीगण का मेडिकल कराने पुलिस साथ में गयी थी उससे बचने के लिये प्रार्थीगण के नाम से दिनाक–25.05.2026 को घटना के 1 दिन बाद में मुकदमा झूठा पंजीकृत करा दिया गया। प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त अपराध कारित नही किया गया है न ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थीगण का कोई स्पेसिक रोल बताया गया है। प्रार्थीगण में से छत्रपाल ह्रदय रोग से पीडित है और इनका इलाज चल रहा है तथा वादी पुलिस के साथ मिलकर प्रार्थीगण को जेल भिजवाना चाहते प्रार्थीगण अगर जेल चले गये तो समाज मे बहुत बदनामी होगी जिसकी भरपाई किसी प्रकार से सम्भव नही है। प्रार्थीगण अपनी अग्रिम जमानत देने को तैयार है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण को दौरान प्रार्थीगण का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इस जमानत प्रार्थना पत्र से पूर्व न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय में कोई भी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र न तो प्रस्तुत किया गया है, न ही निस्तारित हुआ है और न ही जेरे समात है।

5. **<u>अभियोजन पक्ष की ओर से अभिवाकः–</u>**अभियोजन पक्ष द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए प्रतितर्क दिया गया है कि अन्वेषण अभी जारी है। दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर प्रतीप वाद दायर किया गया है। मुल्जिमान द्वारा पीड़ित के शरीर पर गंभीर चोटें पहुंचाई गयी है। अतः अभियुक्तगण के जानिब से उपस्थापित प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

6. **<u>निष्कर्षः–</u>** अभियुक्तगण छत्रपाल सिंह एवं रमेश सिंह द्वारा अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर एक राय होकर प्रार्थी के पिता द्वारिका सिंह पर धारदार हथियार कसी एवं लाठी डण्डों से जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। घटना के दौरान अभियुक्तगण द्वारा घर में घुसकर सिर जैसे महत्वपूर्ण एवं जीवन के लिए संवेदनशील अंग पर प्रहार किये गये, जिससे घायल द्वारिका सिंह को गंभीर चोटें आयीं तथा उनकी हालत अत्यधिक गंभीर होने के कारण जिला अस्पताल से बरेली रेफर किया गया, जहां वह वर्तमान में आईसीयू में भर्ती हैं। सी.डी के पर्चा नं 1 मेडिकल रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि घायल के सिर पर Lacerated wound पाये गये हैं। LACERATED WOUND OF SIZE 7CM X 0.8CM ON MIDDLE OF TOP OF HEAD (MID PARIETAL REGION) SCALP DEEP WITH FRESH OOZING BLOOD AND IRREGULAR MARGINS. XRAY SKULL IS ADVISED. 2A LACERATED WOUND OF SIZE 1CM X 0.8CM ON MIDDLE OF RIGHT SIDE OF HEAD (RIGHT PARIETAL REGION) SCALP DEEP WITH FRESH OOZING BLOOD AND IRREGULAR MARGINS. सिर के मध्य भाग (Middle of top of head / Mid parietal region) एक्स–रे की सलाह दी गयी थी। सी.डी के पर्चा नं 3 सीटी स्कैन रिपोर्ट के अवलोकन से बाइलेटरल फ्रंटो–पैराइटल स्कैल्प हेमेटोमा तथा बाइलेटरल फ्रंटल बोन एवं लेफ्ट पैराइटल बोन में मल्टीपल डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, जो टेम्पोरल बोन तक विस्तारित है, पाया गया है। उक्त चोटें सिर के अत्यंत महत्वपूर्ण भाग पर हैं तथा गंभीर प्रकृति की हैं। अभियुक्तगण द्वारा धारदार हथियार एवं लाठी डण्डों से सिर पर वार किया जाना प्रथम दृष्टया जान से मारने की नीयत को दर्शाता है। चोटों की गंभीरता, सिर के महत्वपूर्ण भाग पर हमला, मल्टीपल फ्रैक्चर तथा घायल की वर्तमान गंभीर स्थिति को देखते हुए अभियुक्तों को जमानत पर छोड़ा जाना न्यायहित में उचित नहीं होगा। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण छत्रपाल सिंह पुत्र शंकर सिंह व रमेश सिंह पुत्र शंकर सिंह निवासीगण ग्राम–रुद्रपुर व थाना–माधौटांडा, जिला–पीलीभीत के जानिब से उपस्थापित अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, मु०अ०सं०–142/2026, अंतर्गत धारा–191(2),191(3),109,352,351(3),333 भा.न्या.सं. व 482 बी.एन.एस.एस, थाना–माधोटांडा, जिला पीलीभीत, निरस्त किया जाता है।

दिनांक–19.06.2026

(विजय कुमार हिमांशु)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–03
विशेष सत्र न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट),
जनपद–पीलीभीत।